रा.पु.मु.ज./5–99/70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी भ्र0 नि0 ब्यूरो, एस.यू. भरतपुर, ...थाना. प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2022
   प्र. इ. रि. स. ....437/22............ दिनांक ....10/11/2022..................
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधित) अधिनियम **वर्ष** 2018 . .धारायें.........7..............................
   (ब) अधिनियम ....धारायें...
   (स) अधिनियम ....धारायें...
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....174.....समय.........6:25PM.....................
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–बुधवार /09.11.2022/06.20 पी.एम..................................
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक–09.11.2022 समय.–10.10 ए.एम. ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :– लाल बाग कॉलोनी बयाना जिला भरतपुर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –दक्षिण , दूरी करीब 40 किमी..
   (ब) पता – ....बीट सख्या ....जरायमदेहीसं.......................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना..............जिला.....................

6.परिवादी/सूचनाकर्ता :–

   (अ) नाम **श्री लव साद**
   (ब) पिता /पति का नाम श्री वीरभान साद जाति जाट ....(स) जन्म तिथि /वर्ष 26 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी............जारी होने की जगह..................................
   (र) व्यवसाय...... ।
   (ल) पता....ग्राम –गडी साद पुलिस थाना भुसावर हाल निवासी सादपुरा थाना रूदावल जिला भरतपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   1– श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रेवती प्रसाद जाति धाकड उम्र 48 साल निवासी बिचपुरी पट्टी वैर जिला भरतपुर हाल निवासी लालबाग कॉलोनी बयाना जिला भरतपुर। हाल भू अभिलेख निरीक्षक हल्का मिलकपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....................................
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   ....3500/–रू0 रिश्वत राशि ....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)........
    ....3500/–रू0 रिश्वत राशि ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ....नहीं.......................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)...................

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर। विषय– रिश्वत लेते हुए रगें हाथों पकडवाने बाबत्। महोदय, निवेदन है कि लव साद / श्री वीरभान साद जाति जाट निवासी घडी साद थाना भुसावर का रहने वाला हूं तथा लगभग 4 साल से मैं परिवार सहित गांव सादपुरा तहसील बयाना में निवास करता हूं। मेरे पिताजी ने ग्राम सादपुरा में करीबन साढे छः बीघा जमीन खरीदी थी जिसकी रजिस्ट्री वर्ष 2008 में हो चुकी है। उक्त खरीदी हुई जमीन का दाखिला खारिज व हम परिवारजनों के नाम नामान्तरण होना है जिसकी फाइल तहसील बयाना में चल रही है। दाखिला खारिज करवाने व नामान्तरण करवाने के सम्बंध में करीबन ढाई महीने पहले हमारे हल्का तहसील बयाना में , के भू–अभिलेख निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार से मिला तो उन्होने कहा कि मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा जिसके लिए खर्चा पानी लगेगा। और उन्होंने 1700 रूपये उसी समय ले लिये लेकिन मेरा काम नही किया इसके

बाद दिनांक 07.11.2022 को गिरदावर साहब ने मिस कॉल किया था। इसके बाद मैंने सुरेन्द्र कुमार के मोबाइल पर कॉल किया तो गिरदावर साहब ने कहा कि तेरा काम हो जाएगा 3500 रूपये लेकर आ जाना । गिरदावर साहब ने मुझे आज तहसील बयाना में रिश्वत के 3500 रूपये बुलाया है। सुरेन्द्र कुमार गिरदावर साहब मेरे से मेरे वैद्य कार्य को करवाने की एवज में 3500 रूपये रिश्वत के मांग कर रहे हैं। मैं उनको रिश्वत में 3,500 रूपये नही देना चाहता हूं। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी गिरदावर साहब से कोई रंजिश व लेनदेन नही है। कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी एस.डी. लवसाद नाम लवसाद / वीरभान साद जाति जाट उम्र 26 साल निवासी गडी साद , पी थाना भुसावर, हाल निवासी सादपुरा थाना रूदावल तहसील बयाना जिला भरतपुर मो0 9887237623, एस.डी. दिनेश कुमार ,एसडी वीरेन्द्र कुमार सैनी।

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 09.11.2022 को समय 10.10 ए.एम. पर परिवादी श्री लव साद पुत्र श्री वीरभान साद जाति जाट उम्र 26 साल निवासी घडी साद थाना भुसावर जिला भरतपुर हाल निवासी सादपुरा थाना रूदावल तहसील बयाना जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति एवं रजिस्ट्री की छायाप्रति एवं नामान्तरण प्रपत्र की छायाप्रति के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा के समक्ष पेश की लिखित रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि मैं घडी साद थाना भुसावर का रहने वाला हूं तथा लगभग 4 साल से परिवार सहित गांव सादपुरा तहसील बयाना में निवास करता हूं। मेरे पिताजी ने ग्राम सादपुरा में करीबन साढे छः बीघा जमीन खरीदी थी जिसकी रजिस्ट्री वर्ष 2008 में हो चुकी है। उक्त खरीदी हुई जमीन का दाखिला खारिज व हम परिवारजनों के नाम नामान्तरण होना है जिसकी फाइल तहसील बयाना में चल रही है। दाखिला खारिज करवाने व नामान्तरण करवाने के सम्बंध में करीबन ढाई महीने पहले हमारे हल्का तहसील बयाना में , के भू–अभिलेख निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार से मिला तो उन्होने कहा कि मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा जिसके लिए खर्चा पानी लगेगा। और उन्होंने 1700 रूपये उसी समय ले लिये लेकिन मेरा काम नही किया इसके बाद दिनांक 07. 11.2022 को गिरदावर साहब ने मिस कॉल किया था। इसके बाद मैंने सुरेन्द्र कुमार के मोबाइल पर कॉल किया तो गिरदावर साहब ने कहा कि तेरा काम हो जाएगा 3500 रूपये लेकर आ जाना । गिरदावर साहब ने मुझे आज तहसील बयाना में रिश्वत के 3500 रूपये लेकर बुलाया है। उक्त लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर समय 11.45 एएम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को जरिये सुशील कुमार कानि. से कार्यालय आलमारी से निकलवा कर उसे चालू व बन्द करने की विधि परिवादी लव साद को समझाकर आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री गंभीर सिंह कानि. नं. 475 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी के आरोपी के पास जाने से पूर्व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा रिश्वत सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करे। बाद हिदायत परिवादी एवं श्री गंभीर सिंह कानि. को आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु तहसील बयाना जिला भरतपुर के लिये रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 12.50 पीएम परिवादी श्री लव साद व श्री गंभीर सिंह कानि. उपस्थित कार्यालय आये। बाद रिश्वत मांग सत्यापन के सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री गंभीर सिह कानि. से प्राप्त किया गया। परिवादी ने

बताया कि एसीबी चौकी भरतपुर से जाकर जैसे ही हम सेवर तिराहे के पास पहुंचे तो सुरेन्द्र कुमार गिरदावर साहब का फोन समय 12.18 पी.एम. पर उनके मोबाइल नं. 9829104848 से मेरे मोबाइल नं. 9887237630 पर आया और उन्होने मुझसे कहा कि पैसे लेकर तहसील में आ जा मैं इंतजार कर रहा हूं इस पर मैंने उनसे कहा कि कितने पैसे लाने हैं तो उन्होने कहा कि 3500 रूपये लेकर आने की कहा इसके बाद कॉल डिस्कनैक्ट हो गया फिर पुनः 12.19 पी.एम. पर उनका फोन मेरे मोबाइल पर आया और मेरे से 3500 रूपये रिश्वत की मांग की उक्त बातचीत मैंने अपने मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन करके वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है इसके बाद मै व श्री गंभीर सिंह कानि. वहां से रवाना होकर आपके पास कार्यालय में आ गए। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्तालाप को सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। अतः परिवादी के समक्ष उक्त वार्ता का रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जावेगा। फर्द वापसी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 01.15 पीएम परिवादी लव साद व आरोपी सुरेन्द्र कुमार भू– अभिलेख निरीक्षक भरतपुर के मध्य मोबाइल पर हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को गवाहान व परिवादी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप को कम्प्यूटर में सेव किया गया एवं एक पेन ड्राईव तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। पेन ड्राईव की और दो पेन ड्राईव तैयार करवायी गई। मूल पेन ड्राईव एवं मुल्जिम पेन ड्राईव प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "A" अंकित करवाकर मूल पेन ड्राईव एवं मुल्जिम प्रति पेन ड्राईव को कपडे की थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व मुल्जिम पेन ड्राईवों को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री सुशील कुमार कानि. को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 01.50 पीएम परिवादी श्री लव साद ने बताया कि आरोपी सुरेन्द्र कुमार मुझसे आज ही रिश्वत राशि लेगा रिश्वत राशि लेने के लिये वह मुझे कॉल करके तहसील बयाना बुला रहा है। इस पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय हाजा के श्री सुरेश कुमार कानि. 185 को आयुक्त/ उपायुक्त वाणिज्यिक कर विभाग भरतपुर के पदनाम से तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाह को लाने हेतु रवाना किया जाने पर समय 02.15 पीएम पर श्री सुरेश कुमार कानि. उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मय दो स्वतंत्र गवाह के उपस्थित कार्यालय आया। जाहिर किया कि कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय उपायुक्त वाणिज्यिक कर विभाग भरतपुर पहुंचा जहां गोपनीय कार्यवाही हेतु गवाह श्री दिनेश चंद शर्मा पुत्र श्री पूरन चंद शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 29 साल निवासी ग्राम अटारी पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय वाणिज्यक कर अधिकारी वृत अ भरतपुर एवं श्री वीरेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री सूरजमल जाति सैनी उम्र 28 साल निवासी कुम्हेरगेट वैर पुलिस थाना वैर हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय खण्डीय कार्यालय वाणिज्यक कर विभाग संभाग भरतपुर होना बताया। गवाहान को परिवादी द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही के सम्बंध में बताया व परिवादी से परिचय करवाया एवं परिवादी द्वारा पेश की गई लिखित रिपोर्ट को पढने हेतु दिया दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी सहमति जाहिर करते हुए परिवादी द्वारा पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट पर प्रमाण स्वरूप अपने अपने हस्ताक्षर किए गवाहान को कार्यालय में बिठाया गया। परिवादी श्री लव साद से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 3,500 रूपये के सम्बंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे पास रिश्वत राशि का इंतजाम है। परिवादी को मुनासिब हिदायत की गई। तत्पश्चात समय 02.35 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के

समक्ष मन् अति. पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री लव साद पुत्र श्री वीरभान साद जाति जाट उम्र 26 साल निवासी घडी साद थाना भुसावर जिला भरतपुर हाल निवासी सादपुरा थाना रूदावल तहसील बयाना जिला भरतपुर से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 07 नोट पांच–पांच सौ रूपये के कुल 3,500/– रूपये निकालकर पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये का	8DQ111477
2	एक नोट पांच सौ रूपये का	8TQ476726
3	एक नोट पांच सौ रूपये का	5KP368947
4	एक नोट पांच सौ रूपये का	0AF972332
5	एक नोट पांच सौ रूपये का	2WF781656
6	एक नोट पांच सौ रूपये का	1EG558773
7	एक नोट पांच सौ रूपये का	0EA493629

उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री पातीराम वरिष्ठ सहायक से आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री पातीराम वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली–भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री लव साद की जामा तलाशी दिनेश चंद शर्मा से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 3,500/–रूपये के नोटों को श्री पातीराम वरिष्ठ सहायक से परिवादी के पहने हुए पेन्ट की दांयी तरफ की साईड की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री वीरेन्द्र सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री पातीराम वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री पातीराम वरिष्ठ सहायक से आलमारी में रखवाया गया। श्री पातीराम वरिष्ठ सहायक के दोनों हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। गिलास को कार्यालय में ही रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत

सुपुर्द किया गया। पाउडर लगाने वाले श्री पातीराम वरिष्ठ सहायक को कार्यालय में रूकने की हिदायत दी गई। फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई । तत्पश्चात समय 03.20 पीएम परिवादी श्री लव साद को श्री गंभीर सिंह कानि0 475 के हमराह प्राइवेट मोटर साईकिल से , एवं श्री अख्तर खान हैड कानि. , श्री सुरेश कुमार कानि0 185 व श्री रितेश कुमार कानि0 64 एवं श्री सुशील कुमार कानि. नं. 557 को प्राइवेट गाडी से रवाना कर उनके पीछे पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं श्री हरभान सिह कानि0 591 व श्री परसराम कानि. 203 मय लेपटॉप प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स के प्राइवेट वाहन से वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु तहसील बयाना रवाना होन पर समय 04.30 पीएम पर तहसील बयाना के बाहर मेन रोड पर पहुंचे जहां वाहनों को साइड में खडा कर परिवादी को वाईस रिकॉर्डर चालू करने की हिदायत देकर आरोपी के पास तहसील बयाना परिसर की ओर रवाना कर पीछे पीछे जाब्ता रवाना कर मन अति. पुसिल अधीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान व शेष ट्रेप पार्टी के सदस्य वाहनों के पास से रवाना होकर अपनी पहचान छुपाते हुए तहसील परिसर के आस–पास अपनी उपस्थित छुपाते हुए खडे हो गये। तत्पश्चात समय 05.10 पीएम पर परिवादी श्री लव साद बिना इशारा किए तहसील कार्यालय से बाहर आया जो बाहर खडे हुए वाहन के पास जाकर खडा हो गया मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी अपनी पहचान छुपाते हुए मय हमराहीयान के गाडियों के पास पहुंचा जहां परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि मैं रवाना होकर तहसील कार्यालय में पहुंचा तथा गिरदावर साहब सुरेन्द्र कुमार जी की मालुमात की तो तहसील में नही मिले अन्य स्टाफ वालों ने बताया कि वह दोपहर बाद यहां से रवाना हो गये थे। इस पर परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि शायद गिरदावर साहब अपने लालबाग कॉलोनी स्थित मकान पर गये होंगे। परिवादी के उक्त कथन पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के लालबाग कॉलोनी स्थित मकान पर रवाना होता हूं। तत्पश्चात समय 05.35 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के रवानाशुदा लालबाग कॉलोनी स्थित खादी गेट पर पहुंचा जहां परिवादी श्री लव साद को आरोपी के मकान पर मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया । मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के पैदल–पैदल आरोपी के मकान के आसपास मुकीम हुआ इसके बाद समय 05.45 पीएम पर परिवादी श्री लव साद बिना इशारा किये आरोपी के मकान से वापस आया परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का बताया कि मैं रवाना होकर आरोपी के मकान पर पहुंचा तो वह घर पर नहीं मिला। इस मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी के मोबाइल से आरोपी के मोबाइल पर कॉल करवाया तो आरोपी ने परिवादी को गांधी चौक बयाना के पास बुलाया है। अतः मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के गांधीचौक बयाना रवाना होता हूं। तत्पश्चात समय 05.50 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के रवानाशुदा गांधीचौक बयाना के पास मैनरोड पर पहुंचा जहां वाहनों को साइड में खडा कर परिवादी को वॉइस रिकार्डर चालू करने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया । मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के अपनी पहचान छुपाते हुए मैनरोड के आसपास परिवादी पर नजर रखते हुए खडे हो गये। तत्पश्चात समय 06.20 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री लव साद के इशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के गांधी चौक बयाना से रवाना होकर परिवादी लव साद जो आरोपी के साथ उसकी लाल रंग की मोटर साइकिल पर पीछे बैठा हुआ है के पीछे–पीछे पंचायत समिति बयाना की तरफ रवाना हुआ रास्ते में काफी भीड भाड होने के कारण मोटरसाइकिल नजर नही आई पंचायत समिति के पास परिवादी पैदल–पैदल जाता हुआ नजर आया जिसको मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रोक कर आरोपी के सम्बंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि सुरेन्द्र कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक गांधी चौक के पास मैन रोड पर आया था और मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाकर पंचायत समिति की तरफ ले गया तथा रास्ते में मुझसे 3,500 रूपये रिश्वत के ले लिये और मुझे रास्ते में पंचायत समिति से पहले उतारकर स्टेशन रोड की तरफ चला गया परिवादी के उक्त कथन पर परिवादी को हमराह लेकर लालबाग कॉलोनी बयाना की तरफ पहुंचा जहां भू–अभिलेख निरीक्षक की तलाश की लेकिन कोई पता नही चला परिवादी को पूर्व में सुपुर्दशुदा वॉइस रिकार्डर को बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। तत्पश्चात

ब्यूरो मुख्यालय से आरोपी के मोबाइल नम्बर 9829104848 की लोकेशन प्राप्त की गई तो आरोपी के मोबाइल की लोकेशन लालबाग कॉलोनी बयाना की आने पर उक्त लोकेशन पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के पहुंचा तो एक व्यक्ति लाल रंग की मोटरसाइकिल पर बैठकर दो–तीन व्यक्तियों से बातचीत कर रहा है उक्त मोटरसाइकिल पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ परिवादी ने इशारा कर बताया कि यही सुरेन्द्र कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक है जिसने मुझसे थोडी देर पहले 3,500 रूपये रिश्वत की लेकर अपने पहनी हुए शर्ट की सामने की बांयी तरफ की जेब में रखे लिये थे और मुझे पंचायत समिति के पास उतारकर चला गया था इस पर मोटर साइकिल पर बैठे हुए व्यक्ति के पास पहुंचकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रेवती प्रसाद जाति धाकड उम्र 48 साल निवासी बिचपुरी पट्‌टी वैर जिला भरतपुर हाल निवासी लालबाग कॉलोनी बयाना जिला भरतपुर हाल भू अभिलेख निरीक्षक हल्का मिलकपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर होना बताया चूंकि मौके पर काफी लोग एकत्रित हो चुके हैं और मौके पर कार्यवाही करने की कोई व्यवस्था नही है ऐसी सूरत में अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित स्थान पुलिस थाना बयाना प्रतीत होता है अतः मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान परिवादी , स्वतंत्र गवाहान, आरोपी सुरेन्द्र कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक एवं अन्य ट्रेप पार्टी सदस्यों के प्राइवेट गाडियों में बैठे जहां मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी का बांया हाथ श्री सुशील कुमार कानि. नं. 557 एवं दाहिना हाथ श्री परसराम कानि. नं. 203 ने कलाइयों के ऊपर से पकड लिये , आरोपी को हाथ पकडी हुई अवस्था में हमराह लेकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमराहीयान के रवाना होकर पुलिस थाना बयाना पहुंचा जहां थानाधिकारी कक्ष में अग्रिम कार्यवाही हेतु मुकीम हुआ, मौके पर उपस्थित परिवादी श्री लव साद से आरोपी द्वारा रिश्वत लेने के सम्बंध मे पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे पिताजी ने ग्राम सादपुरा तहसील बयाना में करीबन साडे छः बीघा जमीन चार साल पहले सियाराम वगैरा से खरीदी थी जिसकी रजिस्ट्री उसी समय हो गयी थी उक्त जमीन का दाखिला खारिज एवं हम सभी परिवारजनों के नाम नामान्तरण होना था जिसके लिये मैं हमारे हल्का पर लगे हुए भू–अभिलेख निरीक्षक सुरेन्द्र जी से मिला तो इन्होने मुझसे तहसील बयाना मे आकर मिलने की कहा मैं कई बार गिरदावर साहब से मिला तो इन्होने मेरे से कहा कि मै तेरा काम करवा दूंगा खर्चा पानी लगेगा। करीबन ढाई महीने पहले मेरे से गिरदावर साहब ने 1700 रूपये लिये लेकिन मेरा काम नही किया । इसके बाद दिनांक 07.11.2022 को गिरदावर साहब ने मुझे मिस्डकॉल किया था इसके बाद मैंने इनके मोबाइल पर कॉल किया तो गिरदावर साहब ने कहा कि तुम्हारा काम करवा दूंगा 3,500 रूपये लगेंगे। इस पर मैं आज आपके कार्यालय में आया था आप द्वारा मुझे सत्यापन हेतु गंभीर सिंह कानिस्टेबल के साथ रवाना किया था तभी सेवर के पास गिरदावर साहब के मोबाइल नम्बर 9829104848 से मेरे मोबाइल नम्बर 9887237630 पर कॉल आया था जिसको गंभीर सिंह कानिस्टेबल ने वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड किया था गिरदावर साहब ने मुझसे आज ही बयाना आकर 3,500 रूपये देकर जाने की कहा इसके बाद आपके साथ आज शाम को बयाना आए गिरदावर साहब की मैंने तहसील में एवं घर पर तलाश की जहां नही मिले तो मैंने उनके मोबाइल पर कॉल किया तो उन्होने मुझे गांधी चौक के पास बुलाया , मैं आपके साथ गांधी चौक के सामने रास्ते पर पहुंचा जहां मुझे गिरदावर साहब मिले और उन्होने मेरे काम से सम्बंधित बातचीत की और मुझसे कहा कि मैं अभी मैन रोड पर आ रहा हूं और तू मुझे मैन रोड पर मिल जा इस पर मैं मैन रोड पर खडा होकर गिरदावर साहब का इंतजार करने लगा कुछ समय पश्चात गिरदावर साहब मोटरसाइकिल लेकर रोड पर आ गये और मुझे मोटरसाइकिल पर बैठाकर पंचायत समिति की तरफ ले गये और मुझसे 3,500 रूपये रिश्वत के ले लिये और मुझे पंचायत समिति के पास छोडकर चले गये परिवादी के उक्त कथन पर आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक से पूछा गया तो बताया कि मैं माह मई 2022 से हल्का मिलकपुर भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर लगा हुआ हूं करीबन 10–15 दिन पहले लव साद के रिश्तेदार का मेरे पास कॉल आया था जिसने मुझसे कहा कि लव साद की मदद कर देना बहुत परेशान है मैंने रिश्तेदार के कहने पर मैं लव साद की सहायता कर रहा था लव साद ने मुझसे कहा था कि आप हमारी मदद कर दो आपको खर्चा पानी दे दूंगा इसके बाद यह आज रूपये लेकर मेरे पास आया

था और मैंने 3,500 रूपये लव साद से लेकर अपनी पहनी हुई शर्ट की जेब में रख लिये थे। लव साद का रिश्तेदार सहदेव निवासी पुराबाई खेडा का मुझसे 3500 रूपये लेकर गया था जो उसने लव साद के साथ भिजवाये थे इसलिये मैंने 3,500 रूपये ले लिये थे अभी 3,500 रूपये मेरी शर्ट की जेब मे रखे हुए हैं। इस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक स्टील के कटोरे को निकलवाकर थानाधिकारी कक्ष में रखे हुए पानी के कैम्पर मे से साफ पानी लोटे से मंगवाया जाकर स्टील के कटोरे को शैम्पू पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर गवाह श्री दिनेश चंद शर्मा से हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर स्टील के कटोरे के घोल में श्री सुरेन्द्र कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आर एच–1 व आर एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। पुनः स्टील के कटोरे को शैम्पू व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री सुरेन्द्र कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच–1 व एल एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश चंद शर्मा से आरोपी की पहनी हुई शर्ट की तलाशी लिवाई गयी तो बांयी तरफ की जेब से 3,500 रूपये रिश्वत राशि मिली जिसका मिलान गवाहान से कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के सात नोट कुल 3,500 रूपये हूबहू होना पाये गये नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात पुनः स्टील के कटोरे को शैम्पू व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। उक्त घोल में आरोपी सुरेन्द्र कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक की पहनी हुई शर्ट को उतरवाकर पहनने के लिये शर्ट मंगवायी जाकर दी गई एवं शर्ट की बांयी तरफ की जेब को उलटवाकर घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एस पी–1 व एस पी–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तथा शर्ट का रंग गहरा नीला होने के कारण शर्ट की जेब सिल्वर ग्लेटर पेन से सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शर्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क एस पी अंकित किया जाकर बतौर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया ।परिवादी से पूर्व में प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कार्यालय में कम्प्यूटर की सहायता से हैड फोन से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। आरोपी सुरेन्द्र कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक से परिवादी से संबंधित पत्रावली पेश करने हेतु कहा तो बताया कि पत्रावली तहसील में रखी हुई है इस पर तहसीलदार तहसील बयाना को जरिए मोबाइल हिदायत दी कि परिवादी से सम्बंधित पत्रावली को कार्यवाही स्थल थाना बयाना पर पेश करें। पत्रावली को जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जावेगा। आरोपी सुरेन्द्र कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक का उक्त कृत्य धारा 7 पीसी अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09.10 पीएम स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री लव साद की मौजूदगी में श्री अमित शर्मा तहसीलदार तहसील बयाना द्वारा परिवादी श्री लव साद के कार्य से सम्बंधित पत्रावली लाकर पेश की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पत्रावली पेज संख्या 01 लगायत 26 है जिसके प्रथम पृष्ठ पर कार्यालय

तहसीलदार तहसील बयाना की नोटशीट की टिप्पणी अंकित है । पत्रावली में परिवादी व उसके पिता के जमीन से क्रय करने से सम्बंधित दस्तावेज लगे हुए हैं। उक्त पत्रावली की कार्यवाही हाजा में बतौर बजह सबूत आवश्यकता होने पर पत्रावली पर प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर पत्रावली की श्री अमित शर्मा तहसीलदार से छायाप्रति करवाई जाकर छायाप्रति को प्रमाणित करवाई जाकर असल पत्रावली श्री अमित शर्मा तहसीलदार को लौटाई जाकर हिदायत की गई कि परिवादी का कार्य जल्द पूर्ण करावें । प्रमाणित छायाप्रति की पत्रावली की कार्यवाही हाजा में जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द जब्ती रिकार्ड पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09.45 पीएम स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रेवती प्रसाद जाति धाकड उम्र 48 साल निवासी बिचपुरी पट्टी वैर जिला भरतपुर हाल निवासी लालबाग कॉलोनी बयाना जिला भरतपुर। हाल भू अभिलेख निरीक्षक हल्का मिलकपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर को परिवादी श्री लव साद से परिवादी व उसके पिताजी के द्वारा ग्राम सादपुरा तहसील बयाना में खरीदी हुई जमीन करीबन साढे छः बीघा का दाखिला खारिज करवाने व परिवादी व उसके परिवारजनों के नाम नामान्तरण खुलवाने की एवज में 3,500 रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडे जाने का उक्त कृत्य धारा 7 पीसी अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री दिनेश चंद शर्मा से लिवायी गई तो आरोपी के पास एक मोबाईल सैमसंग कम्पनी डवल सिम का मिला जिसमें मोबाइल नम्बर 9829104848 एवं 9530315958 की सिम लगी हुई है चूंकि उक्त मोबाइल में लगी हुई सिम पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हुई है अतः उक्त मोबाइल को स्विच ऑफ कर जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया एवं पर्स में 1700 रूपये मिले जिसके सम्बंध में पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि ये रूपये घर खर्च के हैं आरोपी का स्पष्टीकरण संतोषप्रद पाये जाने पर उक्त 1700 रूपयों को आरोपी के कहे अनुसार पर्स मय 1700 रूपये को श्री अमित कुमार शर्मा तहसीलदार तहसील बयाना को सुपुर्द किये गये। फर्द गिरफ्तारी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 10.20 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के घटनास्थल के निरीक्षण हेतु रवाना होकर घटना स्थल पहुंचा जहां घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में रोड लाईटों की रोशनी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 10.40 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के बाद निरीक्षण घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही से तैयार कर वापस पुलिस थाना बयाना पहुंचा। तत्पश्चात समय10.50 पीएम पर श्री अख्तर खान हैड कानि0 , परसराम कानि0 सुशील कुमार कानि0 मय गिरफ्तार शुदा आरोपी सुरेन्द्र कुमार भू– अभिलेख निरीक्षक के मय प्राइवेट वाहनों से बाद ट्रेप कार्यवाही मय जब्तशुदा प्रादर्श व राशि व ट्रेप उपकरणों , लैपटॉप व प्रिन्टरों के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व स्वतंत्र गवाहान व शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के मय प्राइवेट वाहनों से आरोपी के मकान की खाना तलाशी हेतु लाल बाग कॉलोनी बयाना रवाना हुआ । तत्पश्चात समय 11.00 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के आरोपी के लालबाग कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचा जहां आरोपी ने आगे–आगे चलकर मकान के अंदर प्रवेश किया तो मकान काफी पुराना है जिसके एक कमरे में आराम करने के लिये बैड लगा हुआ और कोई सामान नही है, मकान खाली है। अतः ऐसी सूरत में खाना तलाशी लिया जाना संभव नही है। अतः मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के प्राइवेट वाहनो एवं मोटरसाकिल से एसीबी चौकी भरतपुर रवाना होने पर समय 11.35 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरीयान गवाहान, परिवादी, व शेष ट्रेप पार्टी के सदस्यों मय लेपटाप, प्रिन्टर , ट्रेप बॉक्स मय जप्त शुदा सील्ड रिश्वती राशि 3500 रूपये मय धोवन की 06 सील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुचा। जप्तशुदा एवं शील्डशुदा रिश्वती राशि 3500/–रूपये, धोवन की 06 सील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात को श्री सुशील कुमार कानि. नं. 557 को जमा मालखाना करने हेतु सुपुर्द की गई। तत्पश्चात समय 11.40 पीएम पर श्री सुशील कुमार कानि. मय श्री परसराम कानि. मय अभियुक्त सुरेन्द्र

कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक को सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात करने हेतु मय तहरीर के प्राइवेट वाहन के पुलिस थाना मथुरागेट रवाना करने पर समय 11.55 पीएम पर श्री सुशील कुमार कानि. मय श्री परसराम कानि. के फिकरा उपरोक्त का रवानाशुदा अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार को बंद हवालात करवाकर वापस एसीबी कार्यालय आये। इसके बाद दिनांक 10.11.2022 को समय 12.15 एएम पर परिवादी लव साद से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर जिसमें वक्त रिश्वत लेन–देन परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्तालाप रिकॉर्ड है, को कार्यालय के कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष पेन ड्राईव तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। पेन ड्राईव की और दो पेन ड्राईव तैयार करवायी गई। मूल पेन ड्राईव एवं मुल्जिम पेन ड्राईव प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " B" अंकित करवाकर मूल पेन ड्राईव एवं मुल्जिम प्रति पेन ड्राईव को कपडे की थैलियों में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैलियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व मुल्जिम पेन ड्राईव को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री सुशील कुमार कानि. नं. 557 को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 03.00 एएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील जिसपर ACB SU BPR (11) लिखा हुआ है, को परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री दिनेश चंद शर्मा कनिष्ठ सहायक को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूख्सत किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया है कि आरोपी सुरेन्द्र कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक हल्का मिलकपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री लव साद से उसके पिताजी के द्वारा ग्राम सादपुरा तहसील बयाना में खरीदी हुई जमीन करीबन साढे छः बीघा का दाखिला खारिज करवाने व परिवादी व उसके परिवारजनों के नाम नामान्तरण खुलवाने की एवज में 3,500 रूपये रिश्वत की मांग करना उक्त मांग का रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 09.11.2022 को करवाया गया तो दौराने सत्यापन आरोपी द्वारा जरिए मोबाइल परिवादी से 3,500 रूपये रिश्वत की मांग की और दिनांक 09.11.2022 को ही रिश्वत राशि देकर जाने की कहा उक्त मांग के अनुशरण में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी सुरेन्द्र कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक को परिवादी लव साद से कस्बा बयाना में 3,500 रूपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडे जाने व रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य जुर्म जैर दफा 7, पीसी एक्ट 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रेवती प्रसाद जाति धाकड उम्र 48 साल निवासी बिचपुरी पट्टी वैर जिला भरतपुर हाल निवासी लालबाग कॉलोनी बयाना जिला भरतपुर हाल भू अभिलेख निरीक्षक हल्का मिलकपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित की जावेगी।

(महेश मीणा)
अति. पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
एसयू भरतपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू भरतपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रेवती प्रसाद, भू-अभिलेख निरीक्षक, हल्का मिलकपुर, तहसील बयाना, जिला भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 437/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

10/11

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3793-97 दिनांक 10.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर(भू.अ.), भरतपुर।
4. उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. भरतपुर।

10/11/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।